

प्रेस नोट

दिनांक- 08.10.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी धनीराम पुत्र सीताराम, निवासी ग्राम रानीपुर, थाना गैडास बुजुर्ग, जनपद बलरामपुर द्वारा थाना धानेपुर पर तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2021 में सुनील कुमार पुत्र धिऊ, निवासी ग्राम गुरुदीनपुरवा, मौजा माधवगंज, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा के साथ हुआ था। वादी के अनुसार विवाह के बाद से ही उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर पति सुनील कुमार, जेठ राजेन्द्र कुमार, सास मंजू देवी व अन्य ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित एवं मारपीट की जाती थी। दिनांक 09.06.2026 को प्रातः करीब 06:00 बजे प्रीती द्वारा अपने पिता को फोन कर ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर घर से निकालने तथा सामान बाहर कर देने की जानकारी दी गई। इसके बाद उसके पति सुनील कुमार द्वारा फोन कर बताया गया कि प्रीती को ओएन पाण्डेय अस्पताल, गोण्डा में भर्ती कराया गया है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो प्रीती की मृत्यु हो चुकी थी।

कार्यवाही-

उक्त प्रकरण में थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0-211/2026, धारा 80(2), 85, 115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्तगण की पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उनके घर पर दबिश देकर तीनों नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र धिऊ, नि0 ग्राम गुरुदीनपुरवा, मौजा माधवगंज, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
2. सुनील कुमार पुत्र धिऊ, नि0 ग्राम गुरुदीनपुरवा, मौजा माधवगंज, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
3. मंजू देवी पत्नी धिऊ, नि0 ग्राम गुरुदीनपुरवा, मौजा माधवगंज, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-211/2026 धारा- 80(2), 85, 115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना- धानेपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गंगोत्री यादव
2. का0 आदर्श यादव
3. का0 जीतलाल
4. म0का0 काजल पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जिला पंचायत सभागार में प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित-

गोण्डा। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 08.10.2026 को जिला पंचायत सभागार, गोण्डा में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों के दौरान जनपद में **कानून एवं शांति व्यवस्था, आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव** बनाए रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद स्थापित करते हुए त्योहारों को आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। अधिकारीगण द्वारा कहा गया कि जनपद में सभी समुदायों के लोग अपने-अपने त्योहारों को **शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण** में मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना अथवा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/भड़काऊ सामग्री का प्रसार न किया जाए तथा ऐसी किसी भी सूचना के प्रसारित होने पर तत्काल पुलिस-प्रशासन को अवगत कराया जाए। बैठक में त्योहारों के दौरान **जुलूस/शोभायात्रा के निर्धारित मार्ग, धार्मिक स्थलों के आसपास की व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं** के संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि त्योहारों के दौरान क्षेत्र में निरंतर भ्रमण एवं पेट्रोलिंग करते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा विवाद की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि **त्योहारों को प्रेम, सौहार्द, भाईचारे एवं आपसी समन्वय के साथ मनाएं तथा कानून एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।** सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और अफवाहों को फैलाने से बचें।

बैठक के दौरान उपस्थित धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा प्रशासन एवं पुलिस को पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा जनपद में शांति, सौहार्द एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आश्वासन दिया गया।

गोण्डा पुलिस द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार भ्रमण, निगरानी एवं आवश्यक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

मीडिया सेल, गोण्डा।

X (पूर्व में Twitter) पर होने वाले साइबर फ्रॉड से सावधान रहें—गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत आमजन को किया गया जागरूक-

गोण्डा। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर ठगी के नए तरीकों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में दिनांक 08.10.2026 को गोण्डा पुलिस द्वारा जनपद के समस्त 18 थानों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आमजन को X (पूर्व में Twitter) पर होने वाले **Investment/Crypto Scam, Fake Giveaway, Fake Customer Support Scam, Phishing DM एवं Account Takeover** जैसे साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया गया। बताया गया कि साइबर अपराधी फर्जी Investment/Trading एवं Cryptocurrency Experts के नाम से प्रोफाइल बनाकर अधिक लाभ का लालच देते हैं तथा Fake Giveaway के माध्यम से Prize, Tax अथवा Processing Fee के नाम पर ठगी करते हैं। इसी प्रकार Fake Customer Support Account बनाकर OTP, UPI PIN, Card Details अथवा Remote Access App डाउनलोड कराने का प्रयास किया जाता है, जबकि Phishing DM के माध्यम से Account Verification, Copyright Violation, Security Alert अथवा Prize के नाम पर संदिग्ध Link भेजकर Login Credentials चोरी किए जा सकते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा Password अथवा Login Credentials प्राप्त कर X Account पर कब्जा कर उसी Account से Followers/Friends को फर्जी संदेश भेजकर भी ठगी की जाती है। गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी Investment Offer, Giveaway, Customer Support Message अथवा संदिग्ध DM पर तत्काल विश्वास न करें, अनजान Links पर क्लिक न करें, मजबूत एवं Unique Password रखें, Two-Factor Authentication (2FA) सक्रिय करें तथा **OTP, UPI PIN, Password, CVV एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें**। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल **1930** पर कॉल करें तथा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही X Profile/Username, Profile URL, DM, Screenshot, संदिग्ध Link एवं Transaction Details जैसे डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें।

गोण्डा पुलिस का संदेश—“जल्दबाजी में क्लिक नहीं, पहले सत्यापन सही।”

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 08.10.2026

चरित्र सत्यापन में गंभीर लापरवाही एवं शिथिल पर्यवेक्षण बरतने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज निलम्बित-

गोण्डा। आवेदक अंकित श्रीवास्तव पुत्र महेश्वरी श्रीवास्तव निवासी ग्राम बसालतपुर, थाना कोतवाली करनैलगंज द्वारा दिनांक 10.09.2026 को चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन दिनांक 24.09.2026 को सीसीटीएनएस प्रणाली के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना करनैलगंज प्राप्त हुआ। सत्यापन के दौरान आवेदक के समान नाम एवं पिता के नाम वाले ग्राम रूदौलिया निवासी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2024 धारा 115(2)/117(2)/351(2)/352 बीएनएस का आपराधिक विवरण आवेदक की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में अंकित कर दिया गया तथा दिनांक 29.09.2026 को रिपोर्ट ऑनलाइन अग्रसारित कर दी गई थी। प्रकरण को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा संज्ञान में लेकर प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज से करायी गयी। क्षेत्राधिकारी करनैलगंज की प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर चरित्र प्रमाण-पत्र सत्यापन में शिथिल पर्यवेक्षण बरतने पर निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप राय, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना करनैलगंज एवं गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी संजय मिश्रा को पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 08.10.2026

चरित्र सत्यापन में गंभीर लापरवाही एवं शिथिल पर्यवेक्षण पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर निलम्बित-

गोण्डा। आवेदक अंकित श्रीवास्तव पुत्र महेश्वरी श्रीवास्तव निवासी ग्राम बसालतपुर, थाना कोतवाली करनैलगंज द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन सीसीटीएनएस के माध्यम से थाना करनैलगंज पर प्राप्त हुआ। सत्यापन के दौरान समान नाम एवं पिता के नाम वाले ग्राम रूदौलिया निवासी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2024 का आपराधिक विवरण आवेदक की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में अंकित कर ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा क्षेत्राधिकारी करनैलगंज से जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा सिर्फ आवेदक के नाम एवं पिता के नाम के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई तथा पते का समुचित सत्यापन करने में लापरवाही बरती गई। प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर शिथिल पर्यवेक्षण बरतने पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप राय, थाना करनैलगंज तथा गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। अन्य विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

आवेदक अंकित श्रीवास्तव के गलत बने चरित्र प्रमाण-पत्र का पुनः सही सत्यापन कराते हुए संशोधित/सही चरित्र प्रमाण-पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

मीडिया सेल, गोण्डा।